

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

अधिसूचना

राँची, दिनांक 15/06/2024

संख्या :- 8/वि01-04/2018...783/नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के अधीन झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु गठित "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019" यथा संशोधित तथा "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली, 2022" में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :-

- (i) यह नियमावली "झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024" कही जाएगी।
- (ii) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 2(ण) -

आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग के रूप में निर्दिष्ट एवं अधिसूचित वर्ग समूह।"

3. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 2(न) के बाद नियम 2 (प) के रूप में विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य का परिभाषा निम्नवत् अंकित किया जाता है-

विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य :- भारतीय पुनर्वास परिषद्, द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्धारित योग्यता के अनुसार विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, जो प्रारंभिक विद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करते हों।

4. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 2 (प) के बाद नियम 2 (फ) के रूप में सहायक आचार्य (उर्दू) का परिभाषा निम्नवत् अंकित किया जाता है-

सहायक आचार्य (उर्दू) से तात्पर्य है राज्य सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में अहर्ताधारी सहायक आचार्य (उर्दू)।

5. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 5 में निम्न प्रावधान है -

शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सफल अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति के पात्र होंगे -

क. प्रारंभिक विद्यालय (प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालय)

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता की जांच हेतु झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखण्ड अधिविद्य परिषद् या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य प्राधिकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थी "प्रारंभिक विद्यालय (प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय)" में नियुक्ति के पात्र होंगे।

6. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 के अध्याय 2 के नियम 6 (ग)(i) में प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1-5 के लिए) शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के अंतर्गत "अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक (बी.एड.)" के प्रावधान को विलोपित किया जाता है।
7. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6 (ग)(ii) में निम्न प्रावधान है -

उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8 के लिए)

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 31.05.2009 के बाद उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 31.05.2009 तक उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित हो चुके हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए. / बी. एस. सी. एड. (BA, BSC.Ed.) या बी.ए.एड. (BA, Ed) / बी. एस. सी. एड. (BSC.Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6-8 के लिए)

स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) या स्नातकोत्तर एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) [जो दिनांक 29.07.2011 के बाद स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एड.) अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो। [जो दिनांक 29.07.2011 से पूर्व स्नातक अथवा समतुल्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामांकित हुए हों]

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी. ए/बी.एस सी.एड. (BA, BSC.Ed.) या बी.ए.एड. (BA, Ed)/बी.एस सी.एड. (BSC.Ed.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा बी.एड. (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 03 वर्षीय एकीकृत बी.एड.-एम.एड.

8. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 6(ग) के परन्तुक (i) में निम्न प्रावधान है -

(i) गणित एवं विज्ञान शिक्षक - स्नातक (विज्ञान) प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण -

(क) गणित, (ख) भौतिकी, (ग) रसायनशास्त्र, (घ) वनस्पति विज्ञान (च) जीव विज्ञान।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(i) गणित एवं विज्ञान शिक्षक - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रायोगिकी/कृषि तथा गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों तथा 10+2 या उच्चतर माध्यमिक; गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं जीव विज्ञान में से कम से कम दो विषय के साथ उत्तीर्ण हों।

9. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 6(ग) के परन्तुक (ii) -सह- यथासंशोधित नियमावली, 2022 के 2(i) में निम्न प्रावधान है-

सामाजिक विज्ञान शिक्षक - स्नातक (कला) प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय तथा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कोई दो विषय के साथ उत्तीर्ण -

(क) इतिहास, (ख) भूगोल, (ग) राजनीतिशास्त्र, (घ) अर्थशास्त्र (च) समाजशास्त्र, (छ) लेखा शास्त्र, (ज) व्यापार अध्ययन।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“सामाजिक विज्ञान शिक्षक - विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, डिग्रियों का विनिर्देशन (Specification of Degrees) के संबंध में जारी अधिसूचना, मार्च, 2014 एवं उसके उपरांत में अधिसूचित, कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/वाणिज्य/प्रबंधन विषय में न्यूनतम 03 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित करते हों।”

10. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 1 के नियम 6 (ग) के परन्तुक (iii) में निम्न प्रावधान है -

भाषा शिक्षक :- संबंधित भाषा में स्नातक प्रतिष्ठा अथवा सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित भाषा में से कोई एक भाषा अंग्रेजी/ हिन्दी के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में स्नातक उत्तीर्ण -

(क.)संस्कृत (ख.)उर्दू (ग.)फारसी (घ.)उड़िया (च.)बंगला (छ.)संथाली (ज.)मुण्डारी (झ.)हो (ट.)खड़िया (ठ.)कुड़ुख (ड.)उरांव (ड.)कुरमाली (झ.)खोरठा (त.)नागपुरी तथा (ध) पंच-परगनिया।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

भाषा शिक्षक - कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या - 1427 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से किसी एक भाषा में न्यूनतम तीन वर्षीय स्नातक या स्नातक (प्रतिष्ठा)। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किये गये संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे।

11. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 में नियम 6(ग)(iii) के पश्चात् नियम 6(ग)(iv) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है -

प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 5 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य-

वे अभ्यर्थी जो +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रशिक्षणिक योग्यता धारित करते हों:-

किसी भी श्रेणी के दिव्यांगता में विशेष शिक्षा में दो वर्षीय D.Ed (XIIth passed and 2 years D.Ed. Special Education in any of the categories of disability)

अथवा

किसी भी दिव्यांगता श्रेणी में एक-वर्षीय विशेष शिक्षा में डिप्लोमा। (XIIth passed and 1 year Diploma in Special Education (DSE) in any of the categories of disability.)

अथवा

सामुदायिक पुनर्वास में डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Diploma in Community Based Rehabilitation (DCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

सामुदायिक पुनर्वास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course (Post Graduate Diploma in Community Based Rehabilitation (PGDCBR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का छः माह Certificate Course के साथ Multi Rehabilitation Worker (MRW) में डिप्लोमा (Diploma in Multi Rehabilitation Worker (MRW) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

बहरापन दिव्यांग को पढ़ाने में कनीय डिप्लोमा (Junior Diploma in Teaching the Deaf.)

अथवा

दृष्टि दोष में प्रारम्भिक स्तर का शिक्षक प्रशिक्षण। (Primary level Teacher Training course in Visual Impairment.)

अथवा

(Diploma in Vocational Rehabilitation-Mental Retardation (DVR-MR)/Diploma in Vocational Training and Employment-Mental Retardation (DVTE-MR) with 6 months Certificate course in Education of Children with Special Needs.)

अथवा

(Diploma in Hearing Language and Speech (DHLS) with 6 months Certificate course in Education of Children with special Needs.)

12. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(ग) (v) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है -

उच्च प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 8 के लिए) विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य-नियमावली की नियम-6 (ग) (ii) में वर्णित शैक्षणिक योग्यता में 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण एवं निम्नांकित प्रशिक्षण योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी :-

Graduate with B.Ed. (Special Education) from a RCI approved Institute and possess a valid RCI CRR No.

OR

B.Ed. (General) with a one year Diploma in Special Education / B.Ed (General) with two years Diploma in Special Education with a recognized qualification (Certificate/Diploma*) from a RCI approved Institution equivalent to B.Ed. in Special Education and possess a valid RCI CRR No.

OR

BEd (General) with Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGDC) / (PG Diploma in Special Education (Mental Retardation) / PG Diploma in Special Education (Multiple Disability : Physical & Neurological) / PG Diploma in Special Education (Locomotor Impairment and Cerebral Palsy) / Secondary Level Teacher Training Course in Visual Impairment / Senior Diploma in Teaching the Deaf / BA B.Ed in Visual Impairment.

13. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(ग) के अंत में अंकित नोट में निम्न प्रावधान है -

1. राज्य में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में विभागीय संकल्प/आदेश द्वारा कक्षा 1-5 तक अनिवार्य किया गया है। इस आलोक में इण्टर प्रशिक्षित श्रेणी हेतु आवेदकों को मैट्रिक स्तर पर अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना होगा।

2. क्षेत्रीय एवं अन्य भाषा में इण्टर प्रशिक्षित श्रेणी के आवेदकों को मैट्रिक / इण्टर स्तर पर संबंधित भाषा में उत्तीर्ण होना होगा।
3. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायादेशों के क्रम (एल.पी.ए संख्या 209, 219, 223 एवं 227/2017 में पारित न्यायादेश दिनांक 27.06.2019) स्नातक डिग्री अर्हताधारी जिनका सहायक अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में MIL Hindi रहा हो, उन्हें इसके आधार पर स्नातक प्रशिक्षित भाषा शिक्षक के पद हेतु यांचित अर्हता नहीं माना गया है।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

1. कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हों एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षित हों।
 2. कक्षा 6 से 8 के लिए परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थान से +2 या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष परीक्षा तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी0एड0) हों।
 3. शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिन्दु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिन्दु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के परामर्श से विनाग का निर्णय अंतिम होगा।
14. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(घ) में निम्न प्रावधान है -

वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका 6(ग)(i) के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात् 'न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (अथवा इसके समकक्ष) तथा एक वर्षीय बी.एड./ बी.एड. (विशेष शिक्षा)/ डी.एड.(विशेष शिक्षा) प्राप्त हों, ऐसे अभ्यर्थी को इस शर्त के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि शिक्षक पद पर नियुक्ति के पश्चात् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चे पर एक अवसरीय रूप में छ. माह का ब्रीज (सेतु) कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में इनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जायेगा। (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना संख्या 246 दिनांक 28.06.2018 के अनुरूप)

को विलोपित किया जाता है।

15. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(ड) में निम्न प्रावधान है -

अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को नियम 6 (ग) (i) (अ) एवं 6 (ग) (ii) (अ) में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। आदिम जनजाति के अभ्यर्थियों को उपरोक्त अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग-1 / अत्यंत पिछड़ा वर्ग-2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.भी.टी.जी.) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

16. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6(घ) में निम्न प्रावधान है -

अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व अपनी योग्यता नियम 6(ग)(i)(अ) एवं 6(ग)(ii)(अ) के विनिर्दिष्ट योग्यता के अनुरूप स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अहर्ता धारित करना अनिवार्य होगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

अभ्यर्थी झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व नियम 6(ग)(i), 6(ग)(ii), 6(ग)(iv) एवं 6(ग)(v) में विनिर्दिष्ट योग्यता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम अहर्ता धारित करना अनिवार्य होगा।

परन्तु निर्धारित/विहित प्रशिक्षण की योग्यता की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे आवेदकों को भी इस शर्त के साथ झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी कि झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन एवं उसके परिणाम के प्रकाशन के बीच, संबंधित परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा निर्धारित तिथि को उनके स्तर से विहित रीति एवं स्थान पर, प्रशिक्षण योग्यता उत्तीर्णता का सत्यापित अंतिम अंक पत्र समर्पित करना होगा, जिससे संबंधित सूचना का प्रकाशन, परीक्षा आयोजन प्राधिकार द्वारा समाचार पत्र में किया जायेगा।

17. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 6 (ज) के पश्चात नियम 6 (झ) निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है -

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन वर्ष के 01 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत होगा।

परन्तु (i) झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक (पारा शिक्षक) जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार दो वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हों की सविद्या कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जायेगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा।

(ii) सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा एवं आगामी पात्रता परीक्षा के बीच के अंतराल अवधि में एक वर्ष छोड़कर अधिकतम सीमा में छूट प्रदान की जायेगी।

उदाहरणस्वरूप - यदि जेटेट की परीक्षा वर्ष 2018 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2020 में हो, तो एक वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम चार वर्ष की छूट एक बारगी अवसर के रूप में दी जायेगी।

18. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 7 (ख) में निम्न प्रावधान अंकित है-

(ख) प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत् होगा:-

- i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) - दो घंटा तीस मिनट।
- ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) - तीन घंटा।
- iii) दृष्टि बाधित, दिव्यांगों के लिए- तीस मिनट का अतिरिक्त समय।

एवं

झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 2 (ii) में अंकित प्रावधान निम्न है- प्राथमिक कक्षा (1 से 5) के लिए परीक्षा अवधि 3 घंटा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत् होगा-

- i) प्राथमिक कक्षा (1 से 5) - 2 घंटा 30 मिनट।
- ii) उच्च प्राथमिक कक्षा (6 से 8) - 2 घंटा 30 मिनट।
- iii) दृष्टि बाधित दिव्यांगों के लिए- 30 मिनट का अतिरिक्त समय।

19. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 7 (ज) में निम्न प्रावधान अंकित है -

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा स्नातक के सिलेबस पर आधारित होंगे, किन्तु इनकी कठिनाई का अधिकतम स्तर स्नातक या समकक्ष होगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जाँच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त 'State University' के स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा एवं प्रश्नों की कठिनाईयों का स्तर स्नातक या समकक्ष होगा।

20. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 7 (झ) में निम्न प्रावधान अंकित है -

नियम 7(घ) एवं (ड.) में भाषा II अन्तर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा नियमावली के अनुसूची-1 के अनुसार होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए

अनुमान्य क्षेत्रीय / जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।
क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा-II में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या- 1428 दिनांक 10.03.2023 एवं अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 में उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं उस भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

21. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय 2 के नियम 12 में निम्न प्रावधान अंकित है -

शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा।

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार नियमानुसार परीक्षा आयोजित करने हेतु उत्तरदायी होगा।

22. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 3 में अंकित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

क्र.	वर्तमान प्रावधान			क्र.	प्रतिस्थापित प्रावधान		
खण्ड	विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	खण्ड	विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक
I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	20	20	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति	30	30
II.	भाषा-I (a) सहायक शिक्षक : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)	40	40	II.	भाषा-I (a) सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)	30	30
	(b) उर्दू सहायक शिक्षक: उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)				(b) सहायक आचार्य (उर्दू): उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)		
III.	भाषा- II	40	40	III.	भाषा- II	30	30

क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा			कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा में से कोई एक भाषा।		
गणित	50	50	गणित	30	30
पर्यावरण अध्ययन	50	50	सामान्य अध्ययन	30	30
कुल	200	200	कुल	150	150

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 1 से 5 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किये गये विकल्पों यथा-सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य/सहायक आचार्य (उर्दू) तथा चयनित भाषा-॥ का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य (उर्दू) के प्रतिनागी द्वारा भाषा-॥ में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा।

23. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 4 में अंकित प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है -

क्र. संख्या	वर्तमान प्रावधान				क्र. संख्या	प्रतिस्थापित प्रावधान					
	विषय	बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	विषय		बहु-विकल्पीय प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक				
1.	अनिवार्य	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	20	20	1.	अनिवार्य	I.	बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति (अनिवार्य)	30	30
		II.	भाषा- I	40	40	II.	(a) सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य : हिन्दी एवं अंग्रेजी (हिन्दी के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)	30	30		
			(b) उर्दू शिक्षक : उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 20 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न)				(b) सहायक आचार्य (उर्दू): उर्दू एवं अंग्रेजी (उर्दू के लिए 15 प्रश्न एवं अंग्रेजी के लिए 15 प्रश्न)				
		III.	भाषा-II क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा	40	40	III.	भाषा-II कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10.03.2023 से अधिसूचित भाषा	30	30		

									में से कोई एक भाषा।			
2.	वैकल्पिक	IV.	(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक :	150	150	2.	वैकल्पिक	IV.	(a) गणित विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षक :	60	60	
			गणित-60, विज्ञान-100 (भौतिकी-50, रसायन-50, जनस्यति-50, जीव विज्ञान-50 में से कोई भी दो विषय)						गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न			
			(b) समाज अध्ययन शिक्षक:	150	150					(b) समाज अध्ययन शिक्षक :	60	60
			इतिहास-50, भूगोल-50, राजनीतिशास्त्र-50, अर्थशास्त्र-50, समाजशास्त्र-50, लेखा शास्त्र-50 तथा व्यापार अध्ययन-50 में कोई भी तीन विषय)							समाज अध्ययन से संबंधित प्रश्न		
(c) भाषा शिक्षक :	150	150						(c) भाषा शिक्षक / अन्य शिक्षक: IV(a) अथवा IV(b) में से कोई एक	60	60		
(अंग्रेजी-75 एवं हिन्दी/संस्कृत/उर्दू/अन्य संबंधित भाषा-75)								कुल			150	150
कुल				250	250				कुल	150	150	

नोट: परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों (कक्षा 8 से 8 के लिए) को झारखंड अधिविद्य परिषद्, राँची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चयनित किये गये विकल्पों यथा-सहायक आचार्य/विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य/सहायक आचार्य (उर्दू), चयनित भाषा-॥ तथा चयनित वैकल्पिक विषय (गणित एवं विज्ञान शिक्षक या सामाजिक विज्ञान शिक्षक) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सहायक आचार्य (उर्दू) के प्रतिभागी द्वारा भाषा-॥ में उर्दू भाषा का चयन अनिवार्य होगा।

24. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 4 में अंकित नोट निम्नवत् है—
विज्ञान विषयों एवं सामाजिक अध्ययन के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खण्ड होंगे, जिसमें दो या तीन खण्ड का उत्तर देना अनिवार्य होगा।
को विलोपित किया जाता है।
25. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 5 में निम्न प्रावधान अंकित है—
नियम-7 (घ) एवं (ड) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है—
नियम 7 (घ) एवं (ड) में भाषा-॥ अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (झारखंड सरकार) के गजट संख्या 660 दिनांक 24.12.2021 द्वारा चिह्नित जिलावार क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा।

अनुमान्य क्षेत्रीय/जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा में वे शुद्ध शुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं।

को विलोपित किया जाता है।

26. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के नियम 6 में निम्न प्रावधान है—

नियम-6 में कंडिका-ग (iii) निम्नवत् जोड़ा जाता है—

“नियम-6 में कंडिका-ग(i) तथा (ii) में वर्णित योग्यताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट/10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा।

को विलोपित किया जाता है।

27. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय-2 के नियम 7 (ट) में निम्न प्रावधान अंकित है—

प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए सिलेबस क्रमशः अनुसूची-2 एवं अनुसूची-3 के अनुरूप होगी।

को विलोपित किया जाता है।

28. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के अध्याय-2 के नियम 9 में निम्न प्रावधान अंकित है—

परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा परीक्षा प्राधिकार प्रमाण-पत्र निर्गत करेगा, जो परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि से 7 (सात) वर्ष तक शिक्षक नियुक्ति हेतु मान्य होगा।

को विलोपित किया जाता है।

29. इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तदद्विषयक पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, अनुदेश, निदेश अथवा नियम इस हद तक संशोधित माने जायेंगे, परन्तु इस संशोधन के होते हुए भी उल्लिखित राजकीय संकल्प, अनुदेश, निर्देश अथवा नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि01-04/2018. 783/राँची,

दिनांक 15/06/2024

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची, को झारखण्ड गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अधिसूचना की 600 प्रतियाँ अदिलंब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि01-04/2018. 783/राँची,

दिनांक 15/06/2024

प्रतिलिपि- झारखण्ड राज्य के महामहिन राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक निदेशक, झारखण्ड/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांक : 8/वि01-04/2018. 783/राँची,

दिनांक 15/06/2024

प्रतिनिधि- विधान महाधिवक्ता, झारखण्ड/सचिव, विधानसभा सचिवालय झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)

सरकार के प्रभारी सचिव।

